भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 302**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 02 दिसम्बर,2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'भारती' कार्यक्रम के परिणाम

302. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा कृषि खाद्य निर्यात को सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई "भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजीलिएंस, एडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन" (भारती) पहल के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम क्या हैं:

(ख) प्रायोगिक समूह के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है और चयनित स्टार्टअप्स की संख्या कितनी है तथा उनकी संबंधित श्रेणियों या फोकस क्षेत्र क्या हैं;

(ग) भारती कार्यक्रम में तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों सहित अल्प प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण उद्यमों, एफपीओ और स्टार्टअप्स की सहभागिता सुनिश्चित **करने** के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार का निर्यात मूल्य, नवाचार, रोजगार सृजन और "मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड" विज़न पर इस पहल के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन किस प्रकार करने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क), (ख) और (ग): भारती, जिसका अर्थ है भारत का कृषि प्रौद्योगिकी, लचीलापन, उन्नति और निर्यात सक्षमता हेतु इनक्यूबेशन केंद्र, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य कृषि-खाद्य और कृषि-तकनीक क्षेत्र में लगे स्टार्टअप्स को कृषि निर्यात बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान करना है। यह कृषि, खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में उद्योग और सरकार के नेतृत्व वाले इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के पूरक और संवर्द्धन हेतु संरचित है, ताकि नए और अभिनव उत्पाद विकास, मूल्य संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, खराब होने की संभावना, अपव्यय और रसद से संबंधित निर्यात चुनौतियों के समाधान पर काम

किया जा सके और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने हेतु मापनीय, लागत प्रभावी समाधान प्रदान किए जा सकें।

यह पहल सितंबर, 2025 में शुरू की गई थी और उच्च मूल्य वाले तथा नवीन कृषि-खाद्य उत्पादों, निर्यात सक्षमता के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान, स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) जोखिमों और अनुपालन बाधाओं के समाधान से संबंधित क्षेत्रों पर 10 नवंबर 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। संरचित त्वरण कार्यक्रम के तहत, देश भर से कुल 100 स्टार्टअप को प्रायोगिक समूह के लिए चुना जाएगा।

विविध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एपीडा ने विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय संस्थानों, इनक्यूबेशन नेटवर्क और उद्योगों के साथ जुड़कर काम किया और तमिलनाडु राज्य सहित देश भर में पात्र प्रतिभागियों के व्यापक जुटाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम और आउटरीच सत्र आयोजित किए। व्यापक प्रसार के लिए, एपीडा द्वारा एक समर्पित वेबस्पेस (https://apeda.gov.in/bharati/) बनाया और प्रचारित किया गया है।

(घ): निर्यात मूल्य, नवाचार और रोज़गार सृजन को शामिल करते हुए परिभाषित निष्पादन संकेतक हैं। चयनित स्टार्टअप्स को त्वरण कार्यक्रम के माध्यम से इनपुट और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा जो उन्हें उनके संबंधित व्यवसाय के लिए 12 महीने की निर्यात योजना तैयार करने में सक्षम बनाएगा। इसी प्रकार, उच्च-मूल्य वाले, नवोन्मेषी उत्पादों की प्रगति का मूल्यांकन उनकी बाज़ार स्वीकृति और व्यावसायीकरण परिणामों के आधार पर किया जाएगा। रोज़गार सृजन हेतु, चयनित समूह के लिए राजस्व, निर्यात कारोबार और रोज़गार संख्या जैसे आधारभूत मानकों की निगरानी पूरे कार्यक्रम अवधि के दौरान की जाएगी।

*****